



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224763
CG-DL-E-29012021-224763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]
No. 367]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 399(अ).— केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 3 अक्तूबर, 2007 में प्रकाशित भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1693(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (4) और (5) तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :-

- | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| “(4) | सी.एम.ए. कृनाल बनर्जी, 5क, नरूला डाक्टरे लेन (वेस्ट रेंज), दूसरा तल, कोलकाता-700017 | सदस्य |
| (5) | सी.एम.ए. डॉ. ए.एस. दुर्गा प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रोपार्ट सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 1-5-13/3, न्यू मारूतिनगर, कोठापेटा, हैदराबाद - 500035 | सदस्य”। |

[फा.सं. 2/23/2006-पीआई]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1693 (अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 69 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2012, सा.का.नि. 645 (अ), तारीख 15 सितंबर, 2014, सा.का.नि.907 (अ), तारीख 30 नवंबर, 2015, सा.का.नि. 541 (अ), तारीख 24 मई, 2016, सा.का.नि. 855 (अ), तारीख 6 सितंबर, 2016, का.आ. 3297 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2017, का.आ. 5808 (अ), तारीख 20, नवंबर, 2018 और का.आ. 3201 (अ), तारीख 17 सितंबर, 2020 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 399(E).— In exercise of the powers conferred by section 29A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, *vide* number S.O. 1693 (E), dated the 3rd October, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd October, 2007, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (4) and (5) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| “(4) | CMA Kunal Banerjee, 5A, Nurulla Doctore Lane (West Range), 2 nd Floor, Kolkata-700017. | Member |
| (5) | CMA Dr. A.S. Durga Prasad M.D. and CEO Propart Solutions India Private Limited 1-5-13/3, New Maruthinnagar, Kothapeta, Hyderabad-500035. | Member” |

[F.No.2/23/2006-PI]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 1693(E), dated the 3rd October, 2007 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 6th February, 2012, G.S.R. 645(E), dated the 15th September, 2014, G.S.R. 907(E), dated the 30th November, 2015, G.S.R. 541(E), dated the 24th May, 2016, G.S.R. 855(E), dated the 6th September, 2016, S.O. 3297(E), dated the 12th October, 2017, S.O. 5808(E), dated the 20th November, 2018 and S.O. 3201(E), dated the 17th September, 2020.